बिहार सरकार,
उद्योग विभाग

4671 पटना, दिनांक 19/12/2014

संकल्प

विषय :– बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार की योजना (तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) तक) के लिए अनुमानित कुल ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड, पैंतालिस लाख, सात हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% रिबेट की योजना की स्वीकृति।

बिहार राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग तथा ग्राम स्वराज की कल्पना को आगे बढ़ाने के संदर्भ में बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार व आय के नये अवसर सृजित करने, उन्हे खादी के नई तकनीकी से अवगत कराने, राज्य से बुनकरों एवं कारीगारों के पलायन को रोकने, खादी वस्त्रों के उत्पादन एंव बिक्री क्षमता को बढ़ाने एवं खादी के संस्था/समितियों को पुनर्जीवित करने हेतु यह योजना निरूपित की गयी है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए है :–

1. संस्था/समिति द्वारा चर्खा का अधियाचना बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। चर्खा के गुणवत्ता /Specifaction के अनुकूल वित्त नियमावली में निरूपित प्रावधान के आलोक में टेन्डर की प्रक्रिया से दर का निर्धारण बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जायेगा। इस योजना में चर्खा का दर रू0 12000.00 से रू0 16000.00 अनुमानित है। संस्था/समिति को चर्खा 90 प्रतिशत के अनुदान पर दिया जायेगा। खादी बोर्ड को संस्था/समिति द्वारा प्रदत्त कतिन की सूचि उपलब्ध करायी जायेगी।
2. खादी समितियों/ संस्थाओं के (Fixed Capital) स्थिर पूंजी के सुदृढ़ीकरण हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर चर्खा करघा व ड्रम तथा उलेन नीटींग मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत मार्जिन राशि के रूप में खादी समितियों/संस्थाओं द्वारा जमा किया जायेगा। प्रथम चरण में वैसे संस्था/समिति को योजना का लाभ दिया जायेगा जो मार्जिन मनी जमा करने में सक्षम है। द्वितीय चरण में वैसे संस्था/समिति जो मार्जिन मनी जमा करने में सक्षम नही है, उन्हें मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिया जायेगा। ऋण की राशि तीन वर्षो में लौटाना होगा ।

कृ0प0उ0

3. इस योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जाएगा। यह कार्यशील पूँजी खादी संस्थाओं/समितियों के प्रशासनिक व्यय तथा कच्चे माल की खरीद एवं कतीनों और बुनकरों के पारिश्रमिक हेतु व्यय के लिए दी जायेगी। उक्त ऋण पर 4% की दर से व्याज संस्था/समिति द्वारा देय होगा। कार्यशील पूँजी को रिभॉल्भ करने के लिए उत्पादित सामग्रियों के विपणन हेतु खादी संस्थाओं/समितियों को पूरे वर्ष खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 % की छूट (रिबेट) देने का प्रस्ताव है ताकि कार्यशील पूँजी नियमित रूप से रिभॉल्भ हो सके। यह छूट बिहार में उत्पादित खादी वस्त्रों पर हीं देय होगा। रिबेट की सुविधा प्रमाणिक संस्था/समिति एवं विभागीय बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पूर्व की भाँति खादी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

खादी बोर्ड के स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्थाओं/समितियों की ग्रेडिंग/क्रिया कलापों के आधार पर देय अनुदान/ऋण का अधिकतम सीमा (Upper Limit) तय किया जायेगा।

4. इस मद में अनुदान एवं ऋण निर्गत करने के पूर्व संस्था/समिति से एक एकरारनामा किया जायेगा ताकि रिभॉलभिंग फण्ड सुरक्षित रहे तथा नियमित उत्पादन प्रक्रिया संचालित हो सके। संस्थायें हर तीन माह में राशि के उपयोग के उपरांत एक व्यय/उपयोग प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

5. आधुनिक एवं उन्नत चर्खा के संचालन हेतु कतिन को प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ हीं बुनकरों को नये डिजाईन, रंगाई–छपाई आदि का प्रशिक्षण देकर बाजार की माँग के अनुरूप खादी वस्त्रों के उत्पादन के योग्य बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। मास्टर ट्रेनर के माध्यम से कतिन/बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

6. इस योजना के अन्तर्गत रंगाई–छपाई, डिजाईन डेभलपमेन्ट कैपेसीटी बिल्डींग, भैल्यू एडेड खादी वस्त्रों के उत्पादन एवं बिहार खादी की ब्रांडींग हेतु केन्द्र का संचालन NIFT के साथ एकरारनामा के तहत किया जाएगा। इससे प्राप्त नया डिजाईन आदी को राज्य के संस्था/समितियों को उपलब्ध कराकर बाजार के मांग के अनुरूप तथा उत्तम गुणवत्ता के खादी वस्त्रों का उत्पादन खादी संस्थाओं से कराया जा सके। साथ हीं बिहार की खादी की बिक्री एवं इसकी ब्रांडिंग में वृद्धि के उद्देश्य से प्रर्दशनी, मेला आदि का आयोजन किया जायेगा।

7. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट युनिट बनाया जायेगा जिसमें खादी के विशेषज्ञों की सेवाओं को एक निर्धारित अवधि के लिए मानदेय/निर्धारित पारिश्रमिक पर ली जायेगी। यह यूनिट इस योजना का अनुश्रवण एवं लेखा–जोखा से संबंधित कार्य का सम्पादन करेगा। अवधि समाप्त होने के उपरान्त स्वतः इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित जिला के महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अपने जिला में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का अनुश्रवण

करेगें। इस कार्यक्रम का व्यय मदवार विवरणी परिशिष्ट "क" स्वरूप संलग्न। प्रथम चरण में बोर्ड वित्त पोषित एवं अन्य 32 (बत्तीस) संस्थाओं के माध्यम से योजना को कार्यान्वित कराया जायेगा। प्रथम चरण में खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार कर योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पूर्नरूद्धार की योजना तीन वर्षों (2014–15 से 2016–17) तक के लिए अनुमानित ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़ पैतालिस लाख सात हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति मंत्रीपरिषद द्वारा दी गयी है।

प्रथम वर्ष	14.8307 करोड़
द्वितीय वर्ष	14.81 करोड़
तृतीय वर्ष	14.81 करोड़
कुल	44.4507 करोड़

8. बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरूद्धार की योजना तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) तक के लिए अनुमानित कुल ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़, पैंतालिस लाख, सात हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% रिबेट की योजना की स्वीकृति दी गयी है। प्रत्येक वर्ष के व्यय से विभाग के संतुष्ट होने पर हीं अगले वर्ष के लिए राशि विमुक्त की जाएगी।

9. इस योजना में प्रथम वर्ष हेतु 2014–15 में प्राधिकृत समिति द्वारा 14.8307 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है, चूँकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में सामान्य प्रक्षेत्र में योजना उदव्यय 14.00 करोड़ का है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 14.00 करोड़ रूपये स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष राशि 0.8307 करोड़ योजना उदव्यय उपलब्ध होने पर विकलनीय होगा।

10. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता:– राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 00 लघुशीर्ष 105–खादी ग्रामोद्योग, मांग संख्या–23 उप शीर्ष–0101– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड पी0 2851001050101 राज्य योजना स्कीम कोड IND–5443 के विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान –वेतनादि के अलावा मद से विकलित होगा। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में कुल 14.00 (चौदह करोड़) रूपये का बजट उपबंध है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी, सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

11. संकल्प पत्रांक– 3737 दिनांक– 30.09.2014 को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Anihal

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट :– 'क'

खादी संस्था/ समिति पुर्नरूद्धार योजना की प्रस्तावित मदवार विवरणी

क्रमांक	मद का नाम	संख्या	दर	प्रस्तावित राशि
1.	उन्नत चर्खा क्रय			
क	सूती चर्खा	2512	16,000.00	401,92,000.00
ख	सिल्क चर्खा	500	16,000.00	80,00,000.00
ग	उलेन चर्खा	530	12,000.00	63,60,000.00
घ	पॉली चर्खा	350	16,500.00	57,75,000.00
	कुल :–	3892		60,3,27,000.00
2.	करघा एवं ड्रम			
क	सूती चर्खा	1630	30,000.00	4,89,00,000.00
ख	सिल्क चर्खा	100	30.000.00	30,00,000.00
ग	ऊलेन चर्खा	276	30.000.00	82,80,000.00
घ	पॉली चर्खा	240	30,000.00	72,00,000.00
	कुल :–	2246		6,73,80,000.00
3	ऊलेन नीटींग मशीन	80	25,000.00	20,00,000.00
4	संस्था द्वारा उत्पादन पर मिश्रित एवं प्रशासनिक खर्च @ 5%			1,68,00,000.00
5	150 कार्य दिवस पर कच्चा माल पर खर्च।			16,87,52,680.00
6	150 कार्य दिवस पर पारिश्रमिक			10,70,24,210.00
7	NIFT के माध्यम से खादी बोर्ड द्वारा संचालित डिजाईन प्रिंटिंग रेडिमेड, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग आदि पर व्यय।			80,00,000.00
8	उन्नत चर्खा द्वारा कतिन एवं बुनकर प्रशिक्षणार्थी [illegible] प्रशिक्षक द्वारा (194 व्यक्ति X3 [illegible] 2000/ प्रति माह)			11,64,000.00
9	खादी बोर्ड [illegible] प्रचार मेला एवं प्रदर्शनी।			50,00,000.00
10	योजना के [illegible]यन पर प्रशासनिक एवं खादी बोर्ड [illegible] EOI की नियुक्ति एवं संचालन पर [illegible] वाले व्यय।			81,28,000.00
			कुल राशि :–	44,45,75,890.00

(चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख पचहतर हजार आठ सौ नब्बे रूपये)

अर्थात कुल रू0 44,457

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

s. sanlekh